"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 जनवरी 2022 — माघ 11, शक 1943

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 जनवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12–1/2022/मबावि/50. — राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–45 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 के नियम 24 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में चिन्हांकित चिल्ड्रन–इन–स्ट्रीट सिचुएशन वालों बालकों हेतु प्रवर्तकता कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु निम्नानुसार कियान्वयन दिशा निर्देश जारी करता है :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** –
   1.1 इन दिशा निर्देशों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राज्य में चिन्हांकित चिल्ड्रन–इन–स्ट्रीट–सिचुएशन वालों बालकों हेतु प्रवर्तकता कार्यक्रम कियान्वयन दिशा निर्देश, 2022" है।
   1.2 यह दिशा निर्देश सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होंगे।
   1.3 यह दिशा निर्देश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **परिभाषाएँ**– इन दिशा निर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, –
   2.1 **"चिल्ड्रन–इन–स्ट्रीट सिचुएशन"** का आशय :– (1) ऐसा बालक/बालिका जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कि हो एवं अपने जीवन–यापन हेतु रोज काम/रोजगार करने पर मजबूर हो।
   (2) ऐसा बालक/बालिका जो :–
   (i) रोज कमाकर खाने पर मजबूर हो,
   (ii) जो सड़क पर आश्रय लिए हो एवं भिक्षावृत्ति एवं कचरा उठाने जैसे रोजगार करते हो,
   (iii) जो सड़क पर अनिम्न स्तर के आहार एवं जीवन परिस्थितियों के कारण कुपोषण, मादक पदार्थों का सेवन, हिंसा, अत्याचार, लैंगिक शोषण का शिकार हो,
   2.2 **"प्रवर्तकता"** से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–2 (58) के अनुसार कुटुंबों को, बालक की चिकित्सीय, शैक्षाणिक और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय या अन्यथा अनुपूरक सहायता का उपबंध अभिप्रेत है।
   2.3 **"प्रवर्तकता कार्यक्रम"** से पात्रता रखने वाले बालक या उसके परिवार को एकीकृत बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के तहत निर्धारित मापदण्ड अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य बाल संरक्षण समिति के माध्यम से संचालित कार्यक्रम से अभिप्रेत है।
3. **उद्देश्य** – प्रवर्तकता कार्यक्रम (Sponsorship Programme) के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे –
   3.1 बच्चों की चिकित्सकीय, पोषण, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवारों को अनुपूरक सहायता के रूप में धनराशि प्रदान किया जाना, जिससे बच्चे के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हो सके और बालक का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके।

3.2 बच्चे को किन्हीं भी कारणों से स्कूल/आंगनबाड़ी केन्द्र/व्यवसायिक प्रशिक्षण से विरत न किया जा सके और वह अनवरत शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

3.3. बच्चों को उनके जैविक/विस्तारित परिवार से अलग होने/बेघर होने से बचाना।

3.4 बालकों (संस्थागत/रेस्क्यु किये गये पीड़ित) को प्रवर्तकता के माध्यम से उनके जैविक/विस्तारित परिवार में वापस भेज कर पुनर्वासित किया जाना।

3.5 संस्थागत देखरेख से बच्चों को परिवार आधारित देख–रेख में स्थानान्तरित किया जाना।

3.6 ऐसे परिवार/पालक जो आर्थिक विपन्नता/अशक्तता के कारण अपने बच्चों की अपेक्षित देखरेख न कर पा रहे हो, जिससे बच्चे के परिवार से अलग होने का खतरा हो या उनका विकास प्रभावित हुआ हो उन्हें परिवार आधारित प्रवर्तकता से लाभान्वित किया जाना।

4. पात्रता की शर्तें :–

(1) ऐसे बालक जो परिभाषा 2.1 में सम्मिलित हैं

(2) ऐसे बालक जिसे कल्याण समिति द्वारा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक घोषित किया गया हो

(3) ऐसे बालक जिसकी प्रविष्टि के सभी पांच चरण बाल स्वराज पोर्टल के **ciss**(चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन) में पूर्ण किया गया हो।

5. प्रवर्तकता (Sponsorship) के प्रकार –

5.1 **निवारक**– ऐसे जैविक या विस्तारित परिवार, जो आर्थिक रूप से अभावग्रस्त है या शोषणकारी या संकटमय परिस्थितियों में रह रहे है, को उनके बच्चों को अपने परिवार में रखने के लिये सक्षम बनाने में आर्थिक सहयोग करना। विस्तारित परिवार में चाचा–चाची, ताउ–ताई, मामा–मामी, मौसा–मौसी, दादा–दादी, नाना–नानी, बुआ–फूफा, बड़ा वयस्क भाई या बड़ी वयस्क बहन शामिल होंगे।

5.2 **पुनर्वासन**– ऐसे बच्चे, जो आर्थिक कारणो से बार–बार घर से पलायन कर संस्थागत देख–रेख में आते हैं अथवा सक्षम न होने की स्थिति में परिवार द्वारा बच्चों की देख–रेख हेतु संस्था में प्रवेश दिलाया जाता है अथवा वे बच्चे जो संस्थागत देख–रेख में है और उनका परिवार आर्थिक रूप से अभावग्रस्त होने के कारण उन्हें वापस परिवार में ले नहीं जाना चाहता, को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।

6. प्रवर्तकता कार्यक्रम हेतु चयन मापदण्ड

अ. प्रवर्तकता हेतु चयन के अनिवार्य मापदण्ड –

6.अ.1 18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका।

6.अ.2 एकीकृत बाल संरक्षण योजना मार्गदर्शिका 2014 के प्रावधानानुसार प्रवर्तकता हेतु बालकों का चयन जिनके परिवार की वार्षिक आय निम्न से अधिक न हो –

(क) महानगरो के लिए रूपये 36,000 प्रति वर्ष ।

(ख) अन्य नगरो के लिए रूपये 33,000 प्रति वर्ष ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रो के लिए रूपये 24,000 प्रति वर्ष ।

उक्त दोंनों शर्तो की पूर्ति अनिवार्य होगी।

ब. पुनर्वासन प्रवर्तकता के चयन मापदण्ड–

6.ब.1 ऐसे बच्चे, जो बाल देखरेख संस्थाओं, पालन पोषण देखरेख अथवा सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रह रहे है के जीवित/ विस्तारित परिवार में पुनर्वास हेतु।

6.ब.2 बाल विवाह, बालश्रम, बाल तस्करी अथवा अन्य शोषण से पीड़ित बच्चे जो परिवार की आर्थिक अक्षमता के कारण शिक्षा/प्रशिक्षण से विरत होकर इन परिस्थितियों के शिकार हुये है ।

6.ब.3 सड़क या सड़क जैसी स्थितियों (Children in Street Situation) में निवासरत् ऐसे बालक जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के रूप में घोषित किया गया हो तथा वह बालक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संधारित बाल स्वराज पोर्टल में दर्ज हो।

स. निरोधक प्रवर्तकता के चयन मापदण्ड –

6.स.1 एकल माता–पिता के बच्चे विशेषकर एकल माता–विछिन्न विवाह स्त्री/कुटुम्ब द्वारा परित्यक्ता या विधवा के बच्चे।

6.स.2 ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा विस्तारित परिवार की देखरेख में रहते है।

6.स.3 माता–पिता द्वारा परित्यक्त ऐसे बच्चे जो विस्तारित परिवार की देखरेख में रह रहे है।

6.स.4 ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता कारागृह में है।

6.स.5 ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता असहाय/ अशक्त या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है।

6.स.6 ऐसे बच्चे, जिनका गैर कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है या किया जा रहा है।

6.स.7 एच.आई.वी./एड्स प्रभावित बच्चे।

6.स.8 विशेषीकृत आवश्यकता वाले मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे।

7. कार्यक्रम अंतर्गत सहायता –

7.1 पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक रू 2,000/– अथवा तत्समय भारत शासन द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार सहायता धनराशि प्रदान की जायेगी। परिवार में दो से अधिक बच्चे होने पर बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। परन्तु चार से अधिक जैविक बालकों वाले परिवार को यह सहायता देय नही होगी।

7.2 यह सहायता अधिकतम 03 वर्ष अथवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो जैसा कि परिवार की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, प्रदान की जा सकेगी। प्रवर्तकता की समाप्ति से पूर्व परिवार को बच्चों की देखरेख करने हेतु आर्थिक एवं अन्य रूप से सशक्त बनाये जाने के प्रयास किये जायेगें।

7.3 केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी आजीविका अथवा रोजगार मूलक योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे जैविक परिवारों को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

7.4 प्रवर्तकता कार्यक्रम हेतु सहायता एकीकृत बाल संरक्षण योजनांर्गत इस हेतु प्रावधानित राशि अथवा शासन द्वारा इस हेतु निर्धारित मद/निधि से की जायेगी।

8. प्रवर्तकता अनुसंशा हेतु समिति (SFCAC)

एकीकृत बाल संरक्षण योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार प्रवर्तकता की अनुसंशा के लिए प्रवर्तकता एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) का गठन सभी जिलों में किया जायेगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

8.1 जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग–अध्यक्ष

8.2 जिला बाल संरक्षण अधिकारी – सदस्य, सचिव

8.3 अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति/विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की स्थिति में किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य–सदस्य,

8.4 सम्बन्धित विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी/बाल देखरेख संस्था का प्रतिनिधि–सदस्य

8.5 बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्था का एक प्रतिनिधि– सदस्य

उक्त समिति द्वारा प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जायेगी तथा प्रकरण प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रकरणों का निराकरण किया जाना आवश्यक होगा। इस समिति द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रकरणों की भी नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

9. प्रवर्तकता के लिये अनुमोदन/स्वीकृति की प्रकिया

प्रवर्तकता कार्यक्रम का कियान्वयन जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा किया जायेगा।

अ. बाल देखरेख संस्थाओं/संस्थागत देखरेख में निवासरत बालकों का प्रवर्तकता कार्यक्रम (Sponsorship) हेतु चिन्हांकन एवं अनुशंसा

9.अ.1 **व्यक्तिगत देख–रेख योजना तैयार करना**– बाल देखरेख संस्था के केसवर्कर/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 11(3), 13(7)(VI), 13(8)(II), 19(17), 62(6)(VII), 62(6)(X), 69 (H)(3), 69 I(3) के प्रावधानों के अंतर्गत 15 दिवस के भीतर प्रत्येक बालक जो संस्थागत देखरेख में निवासरत है, का जीवनवृत्त तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, बालक तथा उसके परिवार के सदस्यों से परामर्श कर तैयार की जाएगी, जिसमें बच्चे की आवश्यकता तथा परिवार द्वारा उनकी पूर्ति में हो रही कठिनाईयों को अंकित करते हुए उन कारणों को स्पष्ट किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप बच्चा संस्थागत देखरेख में आया है। इस व्यक्तिगत देखरेख योजना की शुरूआत के 3 मास में प्रत्येक पखवाड़े मे और उसके बाद प्रत्येक मास में समीक्षा की जाएगी। केसवर्कर/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी द्वारा परिवार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बच्चे के संस्था में प्रवेश की तिथि से एक माह की समय सीमा के भीतर तथा विशेष मामलों में जिसमें बच्चों को परिवार में पुनर्वासित किया जा चुका है, के प्रकरणों को प्रवर्तकता कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक सहायता के संबंध में प्रतिवेदन बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक को प्रस्तुत किया जायेगा।

9.अ.2 संस्था के अधीक्षक द्वारा प्रवर्तकता हेतु बालकों का चिन्हांकन एवं प्रकरण एक सप्ताह के भीतर संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी (जिस जिले में बालक का प्रवर्तकता मे स्थापन होना है) को प्रेषित करेगा। इसके लिये वह जीवनवृत्त तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेखों पर विचार करेगा –

विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में :– संस्था के अधीक्षक द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 10 (9), 11 (2), 64 (1), 64 (3) (i) के प्रावधानों के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत विधि सह परिवीक्षा अधिकारी द्वारा तैयार सामाजिक जांच प्रतिवेदन अथवा नियम 8 (1), 8 (5) के प्रावधानों के अंतर्गत बाल कल्याण अधिकारी (पुलिस) द्वारा तैयार सामाजिक पृष्ठभूमि प्रतिवेदन के आधार पर

अथवा

देख–रेख एवं संरक्षण वाले बच्चों के संबध में :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 19 (8), के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था के अधीक्षक द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता अथवा केस वर्कर के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक जॉच रिपोर्ट के आधार पर

ऐसे बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा; जिन्हें परिवार, में पुनर्वासित किया गया है अथवा पुनर्वासित किया जाना है तथा उनके परिवार की वर्तमान स्थिति मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता हेतु विचार करने योग्य है।

9.अ.3 जिला बाल संरक्षण अधिकारी एक सप्ताह के भीतर अधीक्षक बाल देखरेख संस्था से प्राप्त सभी बच्चों के प्रवर्तकता प्रकरणों का अध्ययन करेगा तथा संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) को बच्चे के घर का भ्रमण कर/परिवार से भेंट कर गृह अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश देगा।

9.अ.4 संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) एक माह के भीतर गृह अध्ययन कर प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

9.अ.5 गृह अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रवर्तकता एवं पालन– पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) की मासिक बैठक में प्रकरणों को विचारार्थ रखेगा। प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों यथा बालक का जीवन वृत, व्यक्तिगत देखरेख योजना, सामाजिक जांच

रिपोर्ट/सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, गृह अध्ययन रिपोर्ट आदि की संवीक्षा/जांच उपरांत यदि बालक का प्रकरण प्रवर्तकता हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो समिति तदनुसार अपनी अनुशंसा करेगी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, समिति (SFCAC) द्वारा अनुशंसित प्रवर्तकता प्रकरण बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।

9.अ.6 बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय द्वारा बालक के प्रवर्तकता प्रकरण से संबंधित कंडिका 7.अ.5 में उल्लेखित सभी अभिलेखों का परीक्षण करेगी तथा बालक एवं उसके परिवार से साक्षात्कार करेगी। तदुपरांत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 के नियम 24 (5) के तहत प्रवर्तकता के स्थापन का आदेश किया जायेगा परन्तु स्थापन आदेश के पूर्व बालक का शाला/आंगनबाड़ी/व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। स्थापन आदेश की प्रति राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जाएगी।

9.अ.7 प्रवर्तकता में स्थापन आदेश उपरांत बच्चे को पालक को सौपने तथा प्रवर्तकता कार्यक्रम अंतर्गत सहायता प्रारंभ करने से पूर्व जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा पालक से वचन पत्र लिया जाएगा।

9.अ.8 बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय के आदेश उपरांत बालक के नाम पर बैंक खाता खोला जायेगा जिसका संचालन समिति/ बोर्ड/बाल न्यायालय के स्थापन आदेश में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा किया जायेगा।

9.अ.9 अनुवर्तन रिपोर्ट एवं प्रवर्तकता कार्यक्रम हेतु राशि की उपलब्धता के आधार पर बालक के बैंक खाते में प्रतिमाह की 15 तारीख तक जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा राशि अंतरित की जाएगी।

ब. समुदाय में निवासरत बालकों का प्रवर्तकता कार्यक्रम (SPONSORSHIP) हेतु चिन्हांकन एवं अनुशंसा

9.ब.1 जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा जिले में जोखिम में रह रहे परिवारो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी सड़क या सड़क जैसी स्थितियों CiSS(Children in street situation) में निवासरत् बच्चों संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुक्रम में संबंधित बच्चों की पहचान हेतु सामाजिक सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा जिला–विशिष्ट डाटा बेस तैयार किया जाएगा तथा CiSS बच्चों की जानकारी बाल स्वराज पोर्टल पर संधारित की जायेगी।

9.ब.2 उपरोक्त सर्वेक्षण उपरांत प्रवर्तकता वाले बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा। साथ ही चाइल्ड लाईन, जिला बाल संरक्षण ईकाई के अधिकारी, क्षेत्रीय बाल संरक्षण समितियों अथवा किसी प्रबुद्ध नागरिक द्वारा प्रतिवेदित प्रकरणों के आधार पर भी बालकों का चिन्हांकन किया जायेगा। इस प्रकार चिन्हांकित अथवा जरूरतमंद बालक/परिवार का आवेदन प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी एक सप्ताह के भीतर चिन्हांकित प्रकरणों का अध्ययन करेगा तथा संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) को बच्चे के घर का भ्रमण कर/परिवार से भेंट कर गृह अध्ययन प्रतिवेदन एवं बालक का जीवन वृत तैयार करने के निर्देश देगा।

9.ब.3 संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) एक माह के भीतर गृह अध्ययन कर प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

9.ब.4 गृह अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रवर्तकता एवं पालन– पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) की मासिक बैठक में प्रकरणों को विचारार्थ रखेगा। प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों यथा बालक का जीवन वृत, गृह अध्ययन रिपोर्ट आदि की संवीक्षा/जांच उपरांत यदि बालक का प्रकरण प्रवर्तकता हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो समिति तदनुसार अपनी अनुशंसा करेगी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, समिति (SFCAC) द्वारा अनुशंसित प्रवर्तकता प्रकरण को बालक कल्याण समिति को प्रस्तुत करेगा।

9.ब.5 बाल कल्याण समिति द्वारा बालक के प्रवर्तकता प्रकरण से संबंधित कंडिका 7.ब.4 में उल्लेखित सभी अभिलेखों का परीक्षण करेगी तथा बालक एवं उसके परिवार से साक्षात्कार करेगी। तदुपरांत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 के नियम 24 (5) के तहत प्रवर्तकता के स्थापन का आदेश किया जायेगा परन्तु स्थापन आदेश के पूर्व बालक का शाला/आंगनबाड़ी/व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। स्थापन आदेश की प्रति राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जाएगी।

9.ब.6 प्रवर्तकता में स्थापन आदेश उपरांत प्रवर्तकता कार्यक्रम अंतर्गत सहायता प्रारंभ करने से पूर्व जिला बाल संरक्षण अधिकारी पालक से वचन पत्र लिया जाएगा।

9.ब.7 बाल कल्याण समिति के स्थापन आदेश उपरांत बालक के नाम पर बैंक खाता खोला जायेगा जिसका संचालन समिति के आदेश में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा किया जायेगा।

9.ब.8 अनुवर्तन रिपोर्ट एवं प्रवर्तकता कार्यक्रम हेतु राशि की उपलब्धता के आधार पर बालक के बैंक खाते में प्रतिमाह की 15 तारीख तक जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा राशि अंतरित की जाएगी।

10. **अनुवर्तन**– बालक का अनुवर्तन (फॉलोअप) जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों के माध्यम से प्रतिमाह कराया जाएगा। प्रवर्तकता से लाभान्वित बच्चों की शिक्षा/ व्यवसायिक प्रशिक्षण में प्रगति के संबंध में जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा संबंधित शैक्षणिक संस्था के प्रधान अध्यापक/ व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था के प्रमुख के माध्यम से रिर्पोट ली जाएगी। इस हेतु जिला बाल संरक्षण ईकाई के अधिकारी बालक तथा उसके परिवार से, शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख/प्रधान पाठक/ शिक्षक/प्रशिक्षक/व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था के प्रमुख से प्रतिमाह भेंट करेंगे।

11. परामर्श एवं मार्गदर्शन–

11.1 जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बालक, माता–पिता एवं विस्तारित परिवार को आवश्यकतानुसार परामर्श उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। यह परामर्श प्रवर्तकता कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व, अनुवर्तन के दौरान तथा आवश्यकतानुसार हो सकेगा।

11.2 जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा बालक के परिवार की क्षमतावर्धन के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये संबंधित विभागों/अभिकरणों/स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सहयोगी सेवायें जैसे– परामर्श/मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जायेंगे।

12. प्रवर्तकता का निरस्तीकरण – परिवार आधारित प्रवर्तकता निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त/समाप्त की जा सकेगी–

12.1 बच्चे की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गयी हो।

12.2 प्रवर्तकता कार्यक्रम का लाभ पा रहे परिवार की स्वास्थ्यगत/आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हो, जिसके कारण उन्हें बच्चे की शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए इस लाभ की आवश्यकता न हो।

12.3 बच्चे ने स्कूल अथवा आंगनबाड़ी अथवा प्रशिक्षण संस्था में जाना बंद कर दिया हो। (केवल उन विशेष परिस्थितियों में जबकि बच्चा बीमार हो/अशक्त हो, निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा, जिसका जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सत्यापन कराया जाएगा तथा मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की जावेगी।)

12.4 किसी भी परिस्थिति में बच्चे की स्कूल/आंगनबाड़ी/प्रशिक्षण संस्था में उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है। शिक्षा/प्रशिक्षण में निरंतरता टूटने तथा प्रगति संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में।

12.5 बच्चा घर से पलायित कर गया हो और पुनः प्राप्त न हुआ हो।

12.6 बच्चे से आय परक श्रम लिया जा रहा हो।

12.7 बच्चे के साथ परिवार में बच्चे के साथ शारीरिक एवं भावनात्मक हिंसा व दुर्व्यवहार किया जा रहा हो।

12.8 जहां माता–पिता/परिवार योजना का लाभ पाने के बाद भी बच्चे की समुचित देख–भाल करने में अपने आप को अक्षम पा रहे है।

12.9 परिवार आवश्यक देखरेख प्रदान करने में असमर्थ है तथा बालक को पुनः संस्थागत संरक्षण की आवश्यकता है।

12.10 बच्चे को पुनः संस्थागत देखभाल में भेज दिया गया हो या भेजने की स्थिति में हो।

12.11 बच्चे द्वारा विधि का उल्लंघन किया जा रहा हो।

12.12 बालक यदि दत्तक ग्रहण में दे दिया गया हो।

12.13 किसी आजीविका/रोजगार मूलक योजना के तहत उसके जैविक परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है।

12.14 परिवार द्वारा बच्चे को प्रवर्तकता के तहत प्राप्त अनुपूरक सहायता का दुरुपयोग किया जा रहा है।

12.15 बच्चे और परिवार के बीच सामंजस्य में कठिनाई हो।

12.16 बाल विवाह हो जाने की स्थिति में अथवा बाल विवाह का प्रयास किये जाने की स्थिति में।
12.17 कारागार में निरूद्ध माता–पिता की रिहाई हो गई हो तथा बालक की देखरेख में संक्षम हों।
12.18 बालक का पुनः सड़क या सड़क जैसी स्थितियों (CiSS) में पाये जाने पर।

उपरोक्त स्थिति में जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा योजना का लाभ निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जा सकेगी।

13. प्रवर्तकता की समाप्ति की प्रकिया –

13.1 जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रवर्तकता एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) के समक्ष बच्चें एवं परिवार की वर्तमान स्थिति एवं प्रवर्तकता सेवायें समाप्त करने के कारण एवं अनुवर्तन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जायेगें ।

13.2 प्रवर्तकता कार्यक्रम एवं पालन–पोषण अनुमोदन समिति (SFCAC) द्वारा प्रकरण की समीक्षा उपरांत प्रवर्तकता समाप्ति की अनुशंसा की जायेगी ।

13.3 जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) की अनुशंसा एवं प्रवर्तकता समाप्ति का प्रकरण बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय को बच्चे की वैकल्पिक देखरेख एवं संरक्षण अथवा पुनर्वास के प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जायेगा। बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय, संबंधित बालक एवं परिवार से चर्चा करेगी तथा लिखित में उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने पश्चात् प्रवर्तकता कार्यक्रम समाप्ति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्रवर्तकता समाप्ति के आदेश के साथ बच्चे की वैकल्पिक देखरेख एवं संरक्षण अथवा पुनर्वास का आदेश जारी करेगी।

14. प्रवर्तकता हेतु पालक का दायित्व–

14.1 बालक के पालक का यह दायित्व होगा कि वे बच्चों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा, संरक्षण, शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता के साथ भावनात्मक देखरेख एवं पोषण सुनिश्चित करे।

14.2 बच्चे के पालक के लिए अनिवार्य है कि अगर बालक 3–6 वर्ष का है तो आंगनवाड़ी केन्द्र, 6 वर्ष से अधिक वर्ष का है तो विद्यालय में तथा यदि बालक 14 वर्ष से अधिक आयु का है और शाला त्यागी है तो व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था में नियमित उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें।

14.3 अनुवर्तन की कार्यवाही हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों से बालक की भेंट को सुकर/सुविधाजनक बनाएंगे।

14.4 प्रवर्तकता सहायता राशि का उपयोग कण्डिका 12.1 में उल्लेखित दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रवर्तक बालक के लिये ही किया जायेगा।

14.5 बालक के घर से पलायन अथवा बालक के साथ घटित किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना 24 घण्टे के भीतर जिला बाल संरक्षण को देना अनिवार्य होगा।

15. प्रचार–प्रसार– राज्य/जिला बाल संरक्षण समिति प्रवर्तकता कार्यक्रम का समुचित प्रचार–प्रसार करेगी। इसके लिये आवश्यक सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तैयार करेगी।

16. प्रशिक्षण–

16.1 राज्य/जिला बाल संरक्षण समिति प्रवर्तकता कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु अमले के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी।

16.2 जिला बाल संरक्षण समिति पालक /परिवार के सशक्तिकरण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी, जिसमें शासन की विभिन्न योजना एवं कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होंगे।

17. अंतर्विभागीय समन्वय– अन्य विभागों के साथ सामंजस्य के माध्यम से परिवार को सुदृढ़ कर बच्चों की देखभाल करने के लिए परिवार की क्षमता को मजबूत किया जा सकता है ताकि अन्त में प्रायोजन सहायता पर निर्भरता कम हो सके। जिला बाल संरक्षण समिति विभिन्न विभागों/अभिकरणों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इन परिवारों को लाभांवित किये जाने के प्रयास करेगी ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके और अपने बच्चों के पालन–पोषण में सक्षम बन सके।

18. अभिलेख संधारण– प्रवर्तकता कार्यक्रम के क्रियांवयन के संबंध में जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं बाल देखरेख संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों का संधारण किया जाएगा।

अ. बाल देखरेख संस्था के स्तर पर–

18.अ.1 प्रवर्तकता हेतु अनुशंसित बालक की व्यक्तिगत फाइल जिसमें बालक का जीवन वृत, व्यक्तिगत देखरेख योजना, गृह अध्ययन प्रतिवेदन, सामाजिक जांच प्रतिवेदन/सामाजिक पृष्ठ भूमि प्रतिवेदन, स्वास्थ्य जांच/चिकित्सा संबंधी परामर्श रिपोर्ट आदि संलग्न रखे जायेंगे।

18.अ.2 चिन्हाकित एवं प्रवर्तकता में भेजे गये बच्चों की पंजी

ब. जिला बाल संरक्षण इकाई के स्तर पर–

18.ब.1 सामाजिक सर्वेक्षण संबंधी फाइल

18.ब.2 बाल देखरेख संस्था से प्राप्त प्रकरणों की पंजी

18.ब.3 प्रवर्तकता हेतु अनुशंसित बालक की व्यक्तिगत फाइल जिसमें बालक का जीवन वृत, व्यक्तिगत देखरेख योजना, गृह अध्ययन प्रतिवेदन, सामाजिक जांच प्रतिवेदन/सामाजिक पृष्ठ भूमि प्रतिवेदन, पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) की अनुशंसा, बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/ बाल न्यायालय के आदेश, अनुवर्तन प्रतिवेदन, शाला/आंगनबाड़ी/प्रशिक्षण संस्था से प्राप्त प्रगति पत्रक, परामर्श रिपोर्ट, यदि प्रवर्तकता निरस्त की गई हो तो निरस्तीकरण आदेश, पालक अनुबंध पत्र, यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो शिकायत एवं उससे संबंधित जांच प्रतिवेदन की प्रति तथा उस पर लिये गये निर्णय की प्रति, संलग्न रखे जायेगे।

18.ब.4 पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (SFCAC) की बैठक पंजी

18.ब.5 प्रवर्तकता प्रकरणों की पंजी

18.ब.6 प्रवर्तकता अंतर्गत राशि स्वीकृति पंजी

18.ब.7 मासिक प्रतिवेदन पंजी

19. अनुश्रवण–

19.1 जिला बाल संरक्षण समिति की बैठकों में प्रवर्तकता कार्यक्रम की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाएगी।

19.2 जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रवर्तकता में रखे गये बच्चों की निगरानी हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति/विकास खण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सूची प्रेषित की जायेगी।

19.3 जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रवर्तकता कार्यक्रम से लाभांवित हो रहे बच्चों के संबंध में मासिक प्रतिवेदन राज्य बाल संरक्षण समिति को प्रेषित किया जायेगा।

19.4 राज्य/जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रवर्तकता से संबंधित जानकारी के संधारण /अनुश्रवण हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार की जायेगी एवं उसे नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।

20. अपील– प्रवर्तकता संबंधी किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा परन्तु अपीलीय प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त होने के पश्चात, भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका सामाधान हो जाये कि अपीलार्थी के पास, अपील समय पर प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

21. कठिनाईयों का निवारण– इस दिशा निर्देश के कियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई उद्भूत होने पर राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदन प्राप्त कर यथा आवश्यक प्रावधान कर सकेगी, जो कि प्रवर्तकता कार्यक्रम दिशा निर्देशों के असंगत न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस.ध्रुव, संयुक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य प्रवर्तकता कार्यक्रम 2022 अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप

बालक की प्राचार्य/ प्रधान पाठक/ संस्था प्रमुख/ ग्राम पंचायत/ वार्ड पार्षद द्वारा सत्यापित नवीनतम फोटो

1. बालक/बालिका का नाम .....
2. जन्म तिथि/आयु .....
3. लिंग .....
4. जाति एवं वर्ग .....
5. धर्म .....
6. शैक्षणिक योग्यता/कक्षा जिसमें अध्ययरत है.....
7. शाला/आंगनबाड़ी/प्रशिक्षण संस्था का नाम एवं पता.....
8. ट्रेड जिसमें प्रशिक्षणरत् हों .....
9. बालक/बालिका का वर्तमान पता (जहां निवासरत है, बालगृह अथवा पालक का पता) .....
   .....
10. बालक का आधार क्रमांक .....
11. पिता का नाम .....
12. माता का नाम .....
13. बालक/बालिका को प्रवर्तकता की आवश्यकता का कारण (चिन्हांकित करे √)

अ. पुनर्वास हेतु प्रवर्तकता

(I) बाल देखरेख संस्थाओं, पालन पोषण देखरेख अथवा सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रह रहे है बच्चों के परिवार में पुनर्वास हेतु।

(II) बाल विवाह/बालश्रम/बाल तस्करी/अन्य शोषण से पीड़ित बच्चे जो परिवार की आर्थिक अक्षमता/ पालक की अशक्तता के कारण शिक्षा/ प्रशिक्षण से विरत होकर इन परिस्थितियों के शिकार हुये है।

(III) सड़क या सड़क जैसी स्थितियों (Children in Street Situation) में निवासरत् बच्चे।

ब. निरोधक प्रवर्तकता

(IV) एकल माता/पिता के बच्चे (एकल पिता या माता स्पष्ट करे, उनके वर्तमान व्यवसाय का विवरण लिखे) .....

(V) माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा विस्तारित परिवार की देखरेख में रहते है (माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हुई है स्पष्ट अंकित करे) .....

(VI) माता–पिता द्वारा परित्यक्त तथा विस्तारित परिवार की देखरेख में रह रहे है (परित्यक्त का करण लिखे) .....

(VII) माता–पिता कारागृह में है (माता या पिता अथवा दोनों कारागृह में है स्पष्ट करे, अवधि भरे कब से कब तक) .....

(VIII) माता–पिता असहाय/अशक्त या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है (माता या पिता अथवा दोनों बीमारी या असहाय/अशक्त हैं स्पष्ट करे, बीमारी या असहायता/ अशक्तता का विवरण लिखे) .....

(IX) गैर कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है या किया जा रहा है (विवरण लिखे) .. ..

(X) एच.आई.वी./एड्स प्रभावित हैं

(XI) विशेषीकृत आवश्यकता वाले मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चें (विवरण दे)

14. वर्तमान में किसके साथ निवासरत है (नाम एवं पता).....
    .....
15. वर्तमान पालक का संपर्क क्रमांक (दूरभाष/मों. नं.) .....
16. बालक/बालिका जिसके साथ वर्तमान में निवासरत है बालक/बालिका से उनका संबंध .....
17. वर्तमान पालक का व्यवसाय, वार्षिक आय (तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र).....
18. वर्तमान पालक की आयु .....
19. वर्तमान पालक का आधार कं. .....

20. वर्तमान पालक का गरीबी रेखा सर्वे सूची कमांक .....
21. यदि जैविक पालक हैं तो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी आजीविका अथवा रोजगार मूलक योजना अंतर्गत लाभ प्राप्ति का विवरण .....
22. क्या बालक/बालिका किसी स्थाई/पैतृक सम्पति का वारिस है यदि हॉ तो विवरण देवे .....
.....

हस्ताक्षर
बालक/बालिका
नाम

हस्ताक्षर
जैविक पिता/माता/विस्तारित परिवार
के मुखिया का नाम

घोषणा–पत्र

मैं (नाम)..... पिता/पति का नाम ..... प्रवर्तक पालक (पिता/माता/विस्तारित परिवार के मुखिया का नाम) निवास..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है। अगर इस जानकारी में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति या झूठ पाया जाता है अथवा जानकारी छिपाई जाती है तो उसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी तथा प्रवर्तकता अंतर्गत प्राप्त लाभ शासन को वापस देने के बाध्य रहूँगा/रहूँगी ।

उपरोक्त स्थिति में शासन द्वारा मुझे स्वीकृत प्रवर्तकता निरस्त करते हुए, प्रदान की गई प्रवर्तकता सहायता राशि मुझसे भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली की जा सकेगी।

हस्ताक्षर
प्रवर्तक पिता/माता/विस्तारित
परिवार का मुखिया

स्थान – .....

दिनॉक –.....

छत्तीसगढ़ राज्य प्रवर्तकता कार्यक्रम 2022 अंतर्गत गृह अध्ययन प्रतिवेदन प्रारूप

गृह अध्ययन भ्रमण दिनांक .....

गृह अध्ययन करने वाले अधिकारी ..... पद .....

प्रवर्तक पिता/माता विस्तारित परिवार के मुखिया की नवीनतम ग्राम पंचायत/ वार्ड पार्षद द्वारा सत्यापित फोटो

(A)सामान्य जानकारी .....

1. प्रवर्तक पिता/माता/विस्तारित परिवार के मुखिया का नाम .....
2. मुखिया का आधार क्रमांक .....
3. गरीबी रेखा सर्वे सूची में क्रमांक .....
4. पता .....
   .....
   .....
   .....
5. संपर्क हेतु दूरभाष/मो.नं. .....
6. धर्म .....
7. जाति .....
8. जन्म तिथि/उम्र – .....
9. व्यवसाय .....
10. वार्षिक आय (रूपये में) .....
11. स्वास्थ्य स्थिति .....
12. वैवाहिक स्थिति .....
13. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का नाम .....
14. विवाह दिनांक .....
15. विधवा/विधुर/तलाकशुदा है तो अंकित करे (एकल अभिभावक की स्थिति में) .....
16. यदि जैविक पालक हैं तो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी आजीविका अथवा रोजगार मूलक योजना अंतर्गत लाभ प्राप्ति का विवरण .....

(B) प्रवर्तक परिवार की जानकारी –

क्रं.	परिवार के सदस्य का नाम	प्रवर्तक/पिता/माता /विस्तारित परिवार के मुखिया से संबंध	जन्म तिथि /उम्र	लिंग	शिक्षा	विवाहित/तलाक शुदा/विधवा	रिमार्क
1							
2							
3							
4							

(C) प्रवर्तकता हेतु प्रस्तावित बालक का नाम का विवरण–

1. बालक का नाम .....
2. जन्म तिथि /उम्र .....
3. लिंग .....
4. श्रेणी (सामान्य/विशेष आवश्यकता वाला बच्चा) .....
5. यदि बालक विशेष आवश्यकता वाला है तो दिव्यांगता का प्रकार (शारीरिक/मानसिक/बहुविकलांग) .....
6. बालक को प्रवर्तकता में दिये जाने का कारण .....
7. प्रवर्तक पालक से संबंध .....

(D) प्रवर्तक परिवार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन –

1. प्रवर्तक परिवार की भावनात्मक स्थिति
2. क्या प्रवर्तक पालक का परिवार बालक को साथ रखने के लिये सहमत है यदि नही तो कारण
3. बालक को संस्थागत किये जाने का कारण
4. क्या बालक के सर्वागीण विकास के लिये घर का वातावरण उपयुक्त है–
5. क्या प्रवर्तक/विस्तारित/जैविक परिवार मानसिक/शारीरिक रूप से सक्षम है
6. संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) का अभिमत

.....

.....

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर
संरक्षण अधिकारी
(गैर संस्थागत देखरेख)

प्रवर्तकता पिता/माता/परिवार द्वारा दिये जाने वाला वचन पत्र

मैं (प्रवर्तक पालक का नाम) ..... निवासी (पता) .... किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 45, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 के नियम 24, राज्य द्वारा प्रसारित "छत्तीसगढ़ राज्य प्रवर्तकता कार्यक्रम दिशा निर्देश 2022 के प्रावधान तथा बालक कल्याण समिति के आदेश क्रं. ..... व दिनांक ..... के अनुसार बालक को प्रवर्तकता में रखने का वचन देते है।

2. हम बालक की समुचित पालन–पोषण, देखरेख एवं संरक्षण तथा शिक्षा/ व्यवसायिक प्रशिक्षण निरंतर रखने का वचन देते है।

मैं राज्य द्वारा प्रसारित "छत्तीसगढ़ राज्य प्रवर्तकता कार्यक्रम दिशा निर्देश 2022 की कण्डिका 11 में उल्लेखित परिस्थितियों में मुझे स्वीकृत की गई प्रवर्तकता निरस्त किये जाने की सहमति देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर
प्रवर्तक माता/पिता/परिवार का मुखिया

गवाहों के हस्ताक्षर

1. .....
2. .....

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.